(नमूना प्रपत्र) Y-190
Cr-I (E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEFURE CODE, 1898

In the Court of Jitendra Rawat Judicial Magistrate First Class Maheshwer

Case No 547 /2022 Complaint or report made on .... Name and address of the complainant शासन द्वारा आबकारी वृत्त / आरसी केंद्र ...... मंडलेश्वर

Name, parentage, caste and address of accused

देवकाबाई पति जितेन्द्र बंजारा उम्र 32 वर्ष
नि. भैंसलवाड़ा PS मंडलेश्वर

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

आपने दिनांक 8/10/22 को समय 9:15 AM बजे स्थान ग्राम भैंसलवाड़ा में रहवासी मकान में अपने आधिपत्य में 16 लीटर हाथ भट्टी शराब शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखी।

ऐसा करके आपने वह अपराध किया जो कि धारा 34(1)A. M.P. excise act 1915 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के संज्ञान के क्षेत्राधिकार में है।

क्या आप अपराध स्वीकार करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

J. Rawat
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त / अभियुक्तगण की प्ली
अपराध स्वीकार है

नि.अं. देवकाबाई

J. Rawat
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The offence proved, of any and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Sub-section 250 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

: : निर्णय : :

// आज दिनांक 20/10/22 को घोषित //

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण के प्रकरण मे संक्षिप्त प्रकिया अपनायी जाकर अभियुक्त को धारा 34(1)A, M.P. Excise Act 1915 के तहत अपराध की विशिष्टिया पढकर, सुनाये व समझाये जाने पर उन्होने उक्त अपराध किया जाना स्वीकार किया। अभियुक्त/गण की स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जाना प्रतीत होती है।

2. अभियुक्त/अभियुक्तगण को अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए धारा 34(1)A, Excise. Act के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है, अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 34(1)A M.P. Excise Act के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1000/- एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

3. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।

4. प्रकरण में जप्तशुदा 6 ली. हाथ भट्टी मदिरा विहित अवधि पश्चात नष्ट की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय मे दिनाकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

J. Rawat
20/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.

मेरे उदबोधन पर अंकित किया गया।

J. Rawat
20/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.